



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128135

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. - 19455 वर्ष 2026

चंपा देवी

.....आवेदक(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : रमजान अहमद

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : देवेन्द्र कुमार तिवारी, जी.ए.

न्यायालय सं. - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने सूचित किया है कि सूचनादाता के अधिवक्ता को व्हाट्सएप के माध्यम से विधिवत सूचित कर दिया गया है कि वर्तमान मामले का उल्लेख किया गया है और इसकी सुनवाई क्रमानुसार होगी। नोटिस की तामील के बावजूद, सूचनादाता के अधिवक्ता मामले पर बहस करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उल्लेख पर्ची प्रस्तुत की गई है, जिसे रिकॉर्ड में ले लिया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उ.प्र. राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की बात सुनी गई।

3. यह जमानत याचिका मुकदमा अपराध सं. 506 सन् 2025 अन्तर्गत धारा 115(2), 108 और 351(2) बी.एन.एस., थाना- देवरनिया, जिला- बरेली के तहत आवेदक की जमानत पर रिहाई के लिए दायर की गई है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उनका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक मृतक की सास हैं, जिसने आवेदक और उनकी बेटी के साथ कहासुनी के बाद आत्महत्या कर ली थी। आगे यह भी कहा गया है कि पति-पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद के मामले को आपराधिक अपराध में बदल दिया गया है। मृतक की पत्नी अपने ससुराल में वापस आने को तैयार नहीं थी, इसलिए मृतक ने आत्महत्या कर ली। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आवेदक ने मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया या प्रेरित किया हो। यह भी निवेदन किया गया है कि मृतक के परिवारवालों ने मृतक की संपत्ति हड़पने के इरादे से आवेदक और उसकी बेटी को झूठा फंसाया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि आवेदक एक महिला है और आवेदक की बेटी, पूजा को इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 4.6.2026 के आदेश द्वारा आपराधिक विविध जमानत याचिका सं. 19472 वर्ष 2026 में जमानत दी है। आवेदक का मामला सह-आरोपी पूजा के मामले के समान है। आवेदक का यह भी तर्क है कि उसका आपराधिक इतिहास है, जिसका जमानत याचिका के पैराग्राफ सं. 31 में विस्तार से वर्णन किया गया है और वह 1.4.2026 से जेल में है।

5. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया, हालांकि, वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि समान परिस्थितियों वाली सह-आरोपी, पूजा को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है।

6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर लाए गए दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

7. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान परिस्थितियों वाली सह-आरोपी, पूजा को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है और उसी आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द या स्थगित नहीं किया गया है, और आवेदक 1.4.2026 से जेल में है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूं।

8. जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

9. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में आरोपी आवेदक चंपा देवी को व्यक्तिगत बंधपत्र और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक यह वचनपत्र दाखिल करेगी कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

(ii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगी। यदि आवेदक बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहती है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भा.दं.सं./ 269 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करती है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दं.प्र.सं./ 84 बी.एन.एस. के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहती है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए भा.दं.सं./ 209 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर जमानत रद्द करने का आधार होगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायालय को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

18 जून, 2026

कुमार मनीष

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।